

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर केम्प - भीपाल

R-3617-PBR/2015

प्रकरण क्रमांक .....

श्री राधावल्लभ पंजीयत न्यास

द्वारा :- सश्री न्यासियों द्वारा अधिकृत

कोषाध्यक्ष न्यासी कुमारी शान्ति सक्सेना

पुत्री स्व० नर्बदाचरणालाल सक्सेना आयु-

व्यस्क निवासी-बगलवाड़ा रोड -बरेली

तहसील-बरेली जिला-रायसेन म०प्र०

8 - - - निगरानीकर्ता/  
आवेदिका

- - - विरुद्ध - - -

- 1- मनीषकुमार वर्मा आ० श्री रामचंद्र वर्मा  
आयुष्म व्यस्क निवासी-261, नोनिया बरेली  
तहसील-उदयपुरा जिला-रायसेन.
- 2- रामसिंह आत्मज प्रेमसिंह राजपूत आयु-व्यस्क  
निवासी- 126, वार्ड क्रमांक 4 शिवित्तनगर  
बरेली जिला- रायसेन ।
- 3- अतुल पारिख आ० स्व० नरेन्द्र पारिख  
आयु- लगभग 54 वर्ष निवासी 89/1  
रामानंद कॉलोनी, लालघांटी - भीपाल ।
- 4- श्रीमति मोहनीदेवी आयु- लगभग 76 वर्ष  
बेवा स्व० नरेन्द्र पारिख निवासी- 89/2  
रामानंद कॉलोनी , लालघांटी-भीपाल ।
- 5- श्रीमति शशि तिवारी आयु लगभग 66 साल  
पति स्व० हरिनारायण तिवारी निवासी-  
14, कृष्ण सेजवार - भीपाल ।

--- निरंतर --- 2

2/12/15

2/12/15

- 6- श्रीमति गायत्रीदेवी आयु-लगभग 63 वर्ष  
पति श्री आर. जी. उपाध्याय निवासी-  
13, दुर्गा विहार, नरेलाशंकरी मिनाल,  
जे. के. रोड - भोपाल ।
- 7- श्रीमति शारदा शर्मा आयु-लगभग 61 साल  
पति किजेन्द्र शर्मा निवासी- 4/57, ग्रीन सिटी  
त्रिलंगा- भोपाल ।
- 8- श्रीमति पुष्पा शर्मा पति श्री पी. एस. शर्मा  
आयु लगभग 58 वर्ष निवासी-अन्त्योदय नगर  
बैंक कॉलोनी - भोपाल ।
- 9- श्रीमति छाया त्रिपाठी पति यदुनंदन त्रिपाठी  
आयु लगभग 48 साल निवासी- 97, चंद्रिका -  
हाउसिंग सोसायटी, बावड़िया कलां -भोपाल।
- 10- श्रीमति माया जोशी पति पुष्पक जोशी आयु-  
लगभग 50 वर्ष निवासी-22, अनुरागनगर -  
ए0बी0 रोड इन्दौर म0प्र0
- 11- श्रीमति नीलमा पालीवाल आयु लगभग 46 वर्ष  
पति विनीत पालीवाल निवासी- 24, लालघांटी  
रामानंद कॉलोनी- भोपाल ।
- 12- मनीष पारिख आयु लगभग 43 वर्ष आत्मज स्वर्गीय  
नरेन्द्र पारिख निवासी-छोटा बाजार बरेली  
तहसील-बरेली जिला- रायसेन ।

----- अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 म0प्र0 & रा0 संहिता-1959.

महोदय,

आवेदिका/निगरानीकर्ता द्वारा श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी-बरेली के प्रकरण क्रमांक 10/अपील/अ-06/2014-15 में पारित आदेश दिनांक - 8/9/2015 से दृष्टि एवं असंतुष्ट होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर प्रस्तुत है :-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक स्थान तथा दिनांक	R 2021/5 कार्यवाही तथा आदेश	जिला शयमन पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-11-2015	<p>आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 8-9-15 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश का विवादित मूल प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्राप्त हो चुका है, अतः तहसीलदार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है । उक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्थगन आदेश निरस्त करने में वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है। इसी प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 14 (3) के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र इस निष्कर्ष के साथ निरस्त किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 8-7-2004 को स्थगन आदेश पारित किया गया है, और दिनांक 22-01-05 को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित अपील निरस्त हो चुकी है, ऐसी स्थिति में दिनांक 8-7-2004 के पूर्व की स्थिति कायम करने का कोई औचित्य नहीं है, जो कि विधिसंगत कार्यवाही है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।</p>	<p>(मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>